IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हरिद्वार जनपद के मध्यम उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों की वर्तमान कार्यपरिस्थितियों का विश्लेषण

कु. गुलफशानाज
शोद्यार्थिनी
अर्थशास्त्र विभाग बी.एस.एम (पी.जी.) कॉलेज रूडकी
डॉ. सुरजीत सिहं
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग,बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज रूडकी,उत्तराखण्ड

सारांश

मनुष्य अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय का चयन करता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य भविष्य की योजनाएँ बनाना और आजिविका .चुनना है। किसी व्यक्ति का व्यवसाय न सिर्फ उसकी आजीविका कमाने का साधन मात्र है, बल्कि व्यक्ति का व्यवसाय उसका सामाजिक संरचना में पुरूष एवं महिला दो वर्ग है इस संरचना में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।महिला श्रम बल भागीदारी और उपयुक्त कार्य तक उनकी पहुँच समावेशी और सतत विकास प्रकिया के महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। श्रम बाजार में प्रवेश और उपयुक्त कार्य तक पहुँच की राह में महिलाओं के लिए अनेक बाधाएँ बनी हुई है और उन्हें रोजगार तक पहुँचने, कार्य के चयन, कार्य परिस्थिति , रोजगार सुरक्षा, समान मजदूरी, भेदभाव और कार्य का बोझ व पारिवारिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाये रखने जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामाना करना पडता है। भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। महिला श्रम बल भागीदारी दर की स्थिति को देखते हुए देश के तीव्र विकास कर सकने की क्षमता का संकेत मिलता है।

मुख्य शब्द

महिलाएँ ,श्रमिक, उद्योग, कार्यपरिस्थितियाँ, मजदूरी, समस्या, भेदभाव

परिचय

भारत में महिला श्रमिक

2011–12 में हुए एन. एस. एस. ओ. सर्वे में नौकरी पेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8% था और इतनी ही महिलाएँ स्वरोजगार में थी तथा 14.3% अस्थायी श्रमिक थी। गौर से देखने पर पता चलता है कि पिछले 6 वर्षो में स्थिति बदली है और स्वरोजगार एवं अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है और नौकरी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है।

भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। महिला श्रम बल भागीदारी दर की स्थिति को देखते हुए देश के तीव्र विकास कर सकने की क्षमता का संकेत मिलता है।

कार्यबल सर्वे (पीएलएफएस), जनवरी मार्च 2020 के अनुसार देश में 2018–19 में श्रमिक कार्यबल की संख्या लगभग 51.8 करोड थी जिनमें से 48.8 करोड व्यक्तियों के पास रोजगार था और 3.0 करोड बेरोजगार थे। श्रमिक कार्यबल में 0.92 करोड महिलाएँ और 0.72 करोड पुरूष शामिल हैं। महिला कार्यबल सहभागिता दर वर्ष 2017–18 में 17.5% थी जो कि 2018–19 में बढकर 18.6% हो गई।

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक 2020 (जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में मौजूद अन्तराल को मापता है) के अनुसार इस वर्ष भारत 112वें स्थान पर पहुँच गया क्योंकि लगभग 70 लाख महिलाओं को अपनी नौकरी गँवानी पडी है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल. ओ.) के अनुसार वर्ष 2019 में कोविड–19 महामारी से पहले भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 23.5% थी कोविड–19 महामारी ने इस स्थिति को और अधिक खराब किया है। आई.एल.ओ. के अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण वैश्विक महिला रोजगार 19% रही है जो कि महिलाओं के लिए पुरूषों की तुलना में बेरोजगारी के जोखिम को बढाता है। भारत अभी भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहा है।

उत्तराखण्ड में महिला श्रमिक

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43% कार्यशील जनसंख्या है जो इंगित करती है कि 60% से ज्यादा जनसंख्या अनुपादक श्रेणी में है। कुल कार्यशील (शहरी एवं ग्रामीण) महिलाओं की जनसंख्या कार्यशील पुरूषों (शहरी एवं ग्रामीण) की तुलना में अत्यन्त कम है जबकि आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है जिसको बढावा देना चाहिए।

वर्ष 2011–12 में कुल ग्रामीण 74.1% और शहरी जनसंख्या में 51.4% कामगार स्वरोजगार गतिविधियों में लगे हुए है जबकि नियमित कामगार ग्रामीण में 11.2% शहरी में 39.8% तथा सामयिक कामगार ग्रामीण में 14.7% शहरी में 8.7% है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढावा दिया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 100.86 लाख है जिसमें से 51.38 लाख पुरूष है और 49. 48 लाख महिलाएँ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्य सहभागिता 26.6% थी। वर्ष 2011 में राज्य में महिला कर्मकारों का जनसंख्या से अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 30.8% और शहरी क्षेत्रों में 8.6% है। श्रमशक्ति में उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में 31.5% है वहीं शहरी क्षेत्र में इनकी भागीदारी 10.8% है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

एस. रशीदा बानो (2018) ने अपने अध्ययन में पाया कि कार्यस्थल अधिकांश महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की कमी, कम मजदूरी, यौन उत्पीडन, लिंग भेदभाव, अशिक्षा, अज्ञानता और कार्य स्थल पर सुरक्षा समस्याओं का सामाना करना पडता है।

एस. रशीदा बानो (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि महिला श्रमिकों को अनेक समस्याओं जैसे वेतन, यौन उत्पीडन, लिगं भेदभाव, असुरक्षित पर्यावरण आदि का सामाना करना पड रहा है।

मन्जु (2017)ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि महिला श्रमिकों को गम्भीर समस्याओं का सामाना करना पडता है जैसे– असुरक्षा, मजदूरी भेदभाव, अनुपस्थिति, चिकित्सा, आकस्मिक देखभाल, निरन्तरता की कमी आदि।

डॉ. एन. सविता एम. प्रशांत (2016) ने अपने अध्ययन में पाया कि महिला श्रमिकों को कामकाजी माहौल अनुचित श्रम प्रथाओं, कम मजदूरी और व्यावसायिक जोखिम जैसी समस्याओं का सामना करना पडा है ।

संघमित्रा आचार्य और सुनीता रेड्डी (2016) ने अपने शोध अध्ययन में पाया कि इनके द्वारा शोषण, गैर चिकित्सा लाभ, यौन शोषण, शारीरिक हिंसा, विश्रामस्थल, पेयजल की सुविधा, शौचालय आदि समस्याओं का सामना किया जाता है।पहचान पत्र, आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड आदि अन्य कार्ड उपलब्ध कराये जाये।

रश्मी तिवारी और शिवानी तिवारी (2016) ने अपने शोध अध्ययन में सहसम्बन्ध के परिणाम से ज्ञात किया कि लिंगानुपात, प्रतिव्यक्ति आय सकारात्मक रूप से सम्बन्धित है। आय और महिला साक्षरता दर विपरीत है। प्रतीपगमन विश्लेषण पुष्टि करता है सामाजिक –आर्थिक साक्षरता दर जैसे चर प्रतिव्यक्ति आय, लिंगानुपात और महिला कार्य भागीदारी दर महत्वपूर्ण कारक है।

एस. मोनिशा, पी. एल. रानी (2016) असंगठित महिला श्रमिकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है इनकी स्थिति दयनीय होने के अनेक कारण है जैसे कम मजदूरी, काम की असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा वेतन भेदभाव।

सुरभी कपूर प्रसन्ना कुमार सेठी (2014) ने अपने अध्ययन में पाया वहाँएक बडे प्रतिशत में प्रवासी श्रमिक शामिल है। इनकों अनेक समस्याएँ जैसे– भुगतान, बरोजगारी, कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा, उत्पीडन, स्थानीय अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार , नियोक्ता कर्मचारियों के बीच खराब सम्बन्ध, काम में भेदभाव, यौन उत्पाडन, खराब स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल, यातना, खराब कामकाजी स्थिति आदि।

आर. राजेश कुमार और डॉ. आर. राजेन्द्रन (2014) ने अपने अध्ययन में असंगठित महिलाओं की स्थिति को अत्यधिक दयनीय पाया है। महिला श्रमिकों को काम से जुडी गम्भीर समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पडता है, जैसे– निरन्तरता की कमी, असुरक्षा, वेतन भेदभाव, अस्वस्थता नौकरी सम्बन्ध, चिकित्सा और दुर्घटना देखभाल आदि का अभाव।

उद्देश्य

1 मध्यम उद्योगों में महिला श्रमिकों की कार्यपरिस्थितियों का अध्ययन।

2 मध्यम उद्योगों में महिला श्रमिकों की समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन **हरिद्वार जनपद के मध्यम उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों की वर्तमान कार्यपरिस्थितियों का विश्लेषण**, एक विवरणात्मक प्रकृति का है। जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक में कुल 222 औद्योगिक इकाईयाँ है यह अध्ययन जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर के उद्योगों में कार्यरत महिला श्रमिकों से सम्बन्धित है। कुल उद्योगों में से 10 प्रतिशत मध्यम उद्योगों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया। इसमें 5 उद्योगों (बिजली,कॉस्मेटिक, औषधी, प्लास्टिक, पैकेजिंग) का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया है। इनका चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया है और प्रत्येक इकाई से 47 महिला श्रमिकों का यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया है । इस प्रकार कुल प्रतिदर्श 235 महिला श्रमिकों का चयन किया गया है।

क्योंकि अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक है इसलिए आँकडों के संकलन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है साक्षात्कार हेतु प्रश्नावली इस प्रकार तैयार की गई। जिससे अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकें एवं आवश्यकतानुसार अनौपचरिक समूह चर्चा भी करायी गयी है जिससे उचित जानकारी उत्तरदाता से प्राप्त हो सके।

आँकडों के विश्लेषण के लिए प्रतिशतता एवं सारणीयन विधि और परिकल्पना के परीक्षण के लिए काई वर्ग परीक्षण का उपयोग महिला श्रमिकों की वर्तमान कार्यपरिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए किया गया है।

मध्यम उद्योगों में महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और वर्तमान कार्य परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निम्न परिकल्पना का उपयोग किया गया है।

H0: महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति एवं कार्य की दशाओं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है।

H1:महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति एवं कार्य की दशाओं की स्थिति में अन्तर है।

आँकडों का विश्लेषण

महिला श्रमिकों की वर्तमान कार्यपरिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए सर्वे में एकत्रित आँकडों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है। आँकडों के विश्लेषण के लिए प्रतिशतता एवं सारणीयन उपयोग किया गया है जिसको नीचे प्रदर्शित किया गया है।

- **उत्तरदाता का कौशल**

तालिकाः 1 उत्तरदाता का कौशल कौशल और रोजगाार का स्वरूप का क्रॉसटेबुलेशन

कौशल		रोजगाार का स्वरूप		कुल
		नियमित	अनियमित	
कुशल	बारम्बारता	118	0	118
	प्रतिशतता (%)	100.0%	0.0%	100.0%
अर्द्धकुशल	बारम्बारता	0	1	1
	प्रतिशतता (%)	0.0%	100.0%	100.0%
अकुशल	बारम्बारता	0	116	116
	प्रतिशतता (%)	0.0%	100.0%	100.0%
कुल	बारम्बारता	118	117	235
	प्रतिशतता (%)	50.2%	49.8%	100.0%

स्रोतःस्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 1 से स्पष्ट है कि शत प्रतिशत नियमित महिला श्रमिक कुशल है। जबकि 1 अनियमित श्रमिक अर्द्धकुशल और सभी अनियमित महिला श्रमिक अकुशल है।

- **कम्पनी की निवास से दूरी**

तालिकाः 2 कम्पनी का निवास से दूरी और रोजगार का स्वरूप का क्रॉसटेबुलेशन

यदि नहीं तो कम्पनी की निवास से दूरी		रोजगाार का स्वरूप		कुल
		नियमित	अनियमित	
1–5 किमी	बारम्बारता	29	53	82
	प्रतिशतता (%)	35.4%	64.6%	100.0%
6–10 किमी	बारम्बारता	53	31	84
	प्रतिशतता (%)	63.1%	36.9%	100.0%
11से अधिक	बारम्बारता	36	33	69
	प्रतिशतता (%)	48.1%	51.9%	100.0%
कुल	बारम्बारता	118	117	235
	प्रतिशतता (%)	50.2%	49.8%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि 29 (35.4%)नियमित महिला श्रमिक और 53 (64.6%) अनियमित महिला श्रमिक ऐसी है जो 1–5 किमी की दूरी से कार्य करने के लिए आती हैं। 53 (63.1%)नियमित महिला श्रमिक 31 (36.9%) अनियमित महिला श्रमिक ऐसी हैं जो 6–10 किमी की दूरी से कार्य करने के लिए आती हैं। 36 (48.1%) नियमित महिला श्रमिक और 33 (51.9%) अनियमित महिला श्रमिक ऐसी है जो कि 11 किमी से अधिक की दूरी से कार्य करने के लिए आती हैं।

सर्वाधिक नियमित महिला श्रमिक 6–10 किमी की दूरी से कार्य करने के लिए आती है और सर्वाधिक अनियमित महिला श्रमिक 1–5 किमी की दूरी से कार्य करने के लिए आती है।

- **उत्तरदाता द्वारा प्रयुक्त परिवहन का तरीका**

तालिकाः 3 उत्तरदाता द्वारा प्रयुक्त परिवहन का तरीका और रोजगाार का स्वरूप का क्रॉसटेबुलेशन

प्रयुक्त परिवहन का तरीका		रोजगाार का स्वरूप		कुल
		नियमित	अनियमित	
पैदल	बारम्बारता	14	24	38
	प्रतिशतता (%)	36.8%	63.2%	100.0%
स्कूटर/मोटरसाईकिल	बारम्बारता	9	7	16
	प्रतिशतता (%)	56.3%	43.8%	100.0%
सार्वजनिक परिवहन	बारम्बारता	73	84	157
	प्रतिशतता (%)	46.5%	53.5%	100.0%
कम्पनी परिवहन	बारम्बारता	22	2	24
	प्रतिशतता (%)	91.7%	8.3%	100.0%
कुल	बारम्बारता	118	117	235
	प्रतिशतता (%)	50.2%	49.8%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि कि 14 (36.8%) नियमित महिला श्रमिका और 24 (63.2%) अनियमित महिला श्रमिक कम्पनी में कार्य करने के लिए पैदल आती है। 9 (56.3%) नियमित महिला श्रमिक और 7 (43.8%) अनियमित महिला श्रमिक स्कूटर/मोटरसाईकिल से कम्पनी में कार्य करने के लिए आती है। 73 (46.5%) नियमित महिला श्रमिक और 84 (53.5%) सर्वाधिक अनियमित महिला श्रमिक कम्पनी में कार्य करने के लिए सार्वजनिक परिवहन से आती है। 22 (91. 7%) नियमित महिला श्रमिक और 2 (8.3%) अनियमित महिला श्रमिक कम्पनी में कार्य करने के लिए कम्पनी परिवहन से आती है। इस प्रकार सर्वाधिक 157 नियमित व अनियमित महिला श्रमिकों द्वारा प्रयुक्त परिवहन का तरीका सार्वजनिक परिवहन है।

- उत्तरदाता की मजदूरी

तालिकाः 4 उत्तरदाता की मजदूरी और रोजगार का स्वरूप का क्रॉसटेबुलेशन

मजदूरी		रोजगार का स्वरूप		कुल
		नियमित	अनियमित	
4000–6000	बारम्बारता	0	13	13
	प्रतिशतता(%)	0.0%	5.5%	5.5%
6000–8000	बारम्बारता	0	104	104
	प्रतिशतता(%)	0.0%	44.3%	44.3%
8000–10000	बारम्बारता	98	0	98
	प्रतिशतता(%)	41.7%	0.0%	41.7%
10000 से अधिक	बारम्बारता	20	0	20
	प्रतिशतता(%)	8.5%	0.0%	8.5%
कुल	बारम्बारता	118	117	235
	प्रतिशतता(%)	50.2%	49.8%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि 4000–6000 आय वर्ग समूह में आय प्राप्त करने वाली 13 (5.5%) अनियमित महिला श्रमिक ऐसी है जिनकी मजदूरी सर्वाधिक कम है। 104 (44.3%) सर्वाधिक अनियमित महिला श्रमिक 6000–8000 आय वर्ग समूह के मध्य आय प्राप्त करने वाली है। इसी प्रकार 8000–10000 के मध्य आय प्राप्त करने वाली नियमित महिला श्रमिकों की संख्या 98 (41.7%) है। इसी प्रकार 10000–12000 के मध्य आय प्राप्त करने वाली नियमित महिला श्रमिकों की संख्या 20 (8.5%) है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी अनियमित महिला श्रमिकों 8000 से कम आय प्राप्त होती है और सर्वाधिक नियमित महिला श्रमिकों को 10000 से कम आय प्राप्त होती है।

- सामाजिक सुरक्षा लाभ की स्थिति

तालिकाः 5उत्तरदाता का रोजगार का स्वरूप और सामाजिक सुरक्षा लाभ का क्रॉसटेबुलेशन

रोजगार का स्वरूप		सामाजिक सुरक्षा लाभ		कुल
		हाँ	नहीं	
नियमित	बारम्बारता	118	0	118
	प्रतिशतता (%)	100.0%	0.0%	100.0%
अनियमित	बारम्बारता	0	117	117
	प्रतिशतता (%)	0.0%	100.0%	100.0%
कुल	बारम्बारता	118	117	235
	प्रतिशतता (%)	50.2%	49.8%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि सभी नियमित महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ (इएसआईसी ईपीएफ) प्रदान किये जाते है जबकि किसी भी अनियमित महिला श्रमिकों कों सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान नहीं किये जाते है।

- कार्यस्थल पर भेदभाव

तालिकाः 6 रोजगार का स्वरूप और कार्यस्थल पर भेदभाव का अनुभव का क्रॉसटेबुलेशन

रोजगार का स्वरूप		कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों द्वारा भेदभाव का अनुभव		कुल
		हाँ	नहीं	
नियमित	बारम्बारता	33	85	118
	प्रतिशतता (%)	28.0%	72.0%	100.0%
अनियमित	बारम्बारता	49	68	117
	प्रतिशतता (%)	41.9%	58.1%	100.0%
कुल	बारम्बारता	82	153	235
	प्रतिशतता (%)	34.9%	65.1%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 6 से स्पष्ट होता है कि 33 (28.0%) नियमित महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना किया गया है जबकि 85 (72.0%) महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर किसी भेदभाव का सामना नहीं किया गया। इसी प्रकार 49 (41.9%) अनियमित महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना किया गया है जबकि 68 (58.1%) अनियमित महिला श्रमिकों किसी भेदभाव का सामना नहीं किया है। 82 (34.9%) महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर भेदभाव क सामना किया गया है जबकि 153 (65.1%) महिला श्रमिक ऐसी है जिनके द्वारा कार्यस्थल पर किसी भेदभाव का सामना नहीं किया है।

- **कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन या शोषण का अनुभव**

तालिकाः 7 रोजगार का स्वरूपऔर कार्यस्थल परयौन उत्पीडन या शोषण का अनुभव का क्रॉसटेबुलेशन

रोजगार का स्वरूप		कार्य स्थल पर किसी भी यौन उत्पीडन या शोषण का अनुभव		कुल
		हाँ	नहीं	
नियमित	बारम्बारता	41	77	118
	प्रतिशतता (%)	34.7%	65.3%	100.0%
अनियमित	बारम्बारता	43	74	117
	प्रतिशतता (%)	36.8%	63.2%	100.0%
कुल	बारम्बारता	84	151	235
	प्रतिशतता (%)	35.7%	64.3%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 7 से स्पष्ट होता है कि नियमित महिला श्रमिकों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन या शोषण के अनुभव के मामलों पर 41 (34.7%) महिला श्रमिक उत्तरदाताओं ने किया है जबकि 77 (65.3%) महिला श्रमिकों ने शोषण के मामलों का अनुभव नहीं किया है। इसी प्रकार अनियमित महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण का अनुभव 43 (36.8%) उत्तरदाताओं ने किया है। जबकि 74 (63.2%) महिला श्रमिकों द्वारा यौन उत्पीडन का अनुभव नहीं किया है। इस प्रकार

84 (35.7%) ऐसी महिला श्रमिक जिनके द्वाराकार्यस्थल पर यौन शोषण का अनुभव किया गया है जबकि 151 (64.3%) ऐसी महिला श्रमिक है जिनके द्वारा कार्यस्थल पर यौन शोषण का अनुभव नहीं किया गया है।

- **महिला श्रमिक अपना वेतन**

तालिकाः 8 रोजगार का स्वरूप और वेतन का क्रॉसटेबुलेशन

रोजगार का स्वरूप		महिला श्रमिक अपना वेतन किसे देती है			कुल
		स्वयं	पति	परिवार के प्रमुख	
नियमित	बारम्बारता	16	41	61	118
	प्रतिशतता (%)	13.6%	34.7%	51.7%	100.0%
अनियमित	बारम्बारता	12	44	61	117
	प्रतिशतता (%)	10.3%	37.6%	52.1%	100.0%
कुल	बारम्बारता	28	85	122	235
	प्रतिशतता (%)	11.9%	36.2%	51.9%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 8 से स्पष्ट है कि 16 (13.6%) नियमित महिला श्रमिक अपना वेतन स्वयं रखती है, 41 (34.7%) महिला श्रमिक अपना वेतन पति को देती है जबकि सबसे अधिक 61 (51.7%) नियमित महिला श्रमिक अपना वेतन परिवार के प्रमुख को देती है। इसी प्रकार 28 (11.9%) अनियमित महिला श्रमिक अपना वेतन स्वयं रखती है , 44 (37.6%) महिला श्रमिक अपना वेतन पति को देती है जबकि सर्वाधिक 61 (52.1%) अनियमित महिला श्रमिक अपना वेतन परिवार के प्रमुख को देती है। इस प्रकार कुल महिला श्रमिकों में से 28 (11.9%) महिला श्रमिक ही स्वयं अपना वेतन रखती है , 85 (36.2%) महिला श्रमिक अपना वेतन पति को देती है और सर्वाधिक 122 (51.9%) महिला श्रमिक अपना वेतन परिवार के प्रमुख को देती है।

- **वित्तीय निर्णय की स्वतन्त्रता**

तालिकाः 9 रोजगार का स्वरूप और वित्तीय निर्णय की स्वतन्त्रता का क्रॉसटेबुलेशन

रोजगार का स्वरूप		महिला श्रमिक द्वारा वित्तीय निर्णय की स्वतन्त्रता		कुल
		हाँ	नहीं	
नियमित	बारम्बारता	86	32	118
	प्रतिशतता (%)	72.9%	27.1%	100.0%
अनियमित	बारम्बारता	75	42	117
	प्रतिशतता (%)	64.1%	35.9%	100.0%
कुल	बारम्बारता	161	74	235
	प्रतिशतता (%)	68.5%	31.5%	100.0%

स्रोतः स्वयं संकलित प्राथमिक आँकडें 2019–21

तालिका 9 से स्पष्ट होता है कि 86 (72.9%) नियमित महिला श्रमिक वित्तीय निर्णय लेने के स्वतन्त्र है जबकि 32 (27. 1%) महिला श्रमिक वित्तीय निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं है । इसी प्रकार अनियमित महिला श्रमिकों में 75 (64.1%) ऐसी महिला श्रमिक है जो वित्तीय निर्णय लेने स्वतन्त्र है जबकि 42 (35.9%) महिला श्रमिक ऐसी है जो वित्तीय निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। इस प्रकार कुल 235 महिला श्रमिकों में से 161 (68.5%) महिला श्रमिक वित्तीय निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है जबकि 74 (31.5%) महिला श्रमिक ऐसी है जो कि वित्तीय निर्णय लेने में स्वतन्त्र नहीं है।

निष्कर्ष एवं सारांश

मध्यम उद्योगों में महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और कार्य की दशाओं की स्थिति के बीच सम्बन्ध की जाँच के लिए प्रयुक्त परिकल्पना की सत्यतता के लिए काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

पियर्सन काई वर्ग परीक्षण

		आर्थिक स्थिति
कार्य की दशाओं की स्थिति	Chi-square	613.951
	Df	21
	Sig.	.000*

*. The Chi-square statistic is significant at the .05 level.

हमारे अध्ययन में काई वर्ग परीक्षण का परिणाम महत्तवपूर्ण है यह मान निर्दिष्ट अल्फा स्तर **0.05** से कम है तथा **X^2(21, N= 235)= 613.951 p = .001 |** चूँकि हमारे अध्ययन में p–मान मानक अल्फा मान से छोटा **(.001<.05)** है, इसलिए हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेगें जो यह दावा करती है महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति और कार्य की दशाओं की स्थिति एक दूसरे से स्वतन्त्र है। शून्य परिकल्पना का परित्याग करने के लिए आवश्यक दशाएँ पूरी हो गई है। अन्य शब्दों में कहें तो हम शून्य परिकल्पना का परित्याग करते हैं और प्रायोगिक परिकल्पना को स्वीकार करते है जो दावा करती है कि चर सामाजिक स्थिति और कार्य की दशाओं की स्थिति एक दूसरे के साथ जुडी हुए है। अतः काई वर्ग परीक्षण से पता चलता है कि महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थिति और उनकी कार्य की दशाओं की स्थिति के बीच एक मजबूत सम्बन्ध हैं।

काई वर्ग परीक्षण के परिणाम संकेत करते हैं कि कम्पनी द्वारा 10000 से अधिक आय प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों को विशेष चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती है जबकि 6000 से कम आय प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों को सामान्य चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती है। और 6000 से कम आय प्राप्त करने वाली महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन या शोषण (छेड़छाड़) का अनुभव और कार्यस्थल पर भेदभाव का अनुभव किया गया है। और 20.0% महिला श्रमिक उत्तरदाता ही 10000 से अधिक आय प्राप्त करने वाली है और कम्पनी के द्वारा इन्हीं नियमित महिला श्रमिक उत्तरदाताओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। अनियमित महिला श्रमिका उत्तरदाताओं को कम्पनी द्वारा मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाता है

अध्ययन किये गये आँकडों से ज्ञात होता है कि महिला श्रमिकों की कार्यस्थल पर स्थिति अत्यन्त खराब है। अधिकांश महिला श्रमिक अकुशल है जिनकों कार्य के लिए कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। सर्वाधिक महिला श्रमिक कम्पनी में कार्य करने के लिए 10 किमी की दूरी से आती है। अधिकतम महिला श्रमिकों द्वारा कार्यस्थल पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक नियमित महिला श्रमिकों द्वारा 8 घण्टे कार्य किया जाता है और सर्वाधिक अनियमित महिला श्रमिकों द्वारा 10 घण्टे कार्य किया जाता है। सभी नियमित महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किये जाते है जबकि सभी अनियमित महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान नहीं किये जाते है। अधिकतम महिला श्रमिक अपना वेतन परिवार के प्रमुख को देती है। महिला श्रमिक कार्य करने के बावजूद भी वित्तीय निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। कार्यरत होने पर भी महिला श्रमिक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों पर भी खर्च नहीं कर पाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला श्रमिकों को अनेक समस्याओं का सामाना करना पडता है। कार्यस्थल पर उनकी परिस्थितियाँ अत्यन्त खराब है जिन परिस्थितियों में वह कार्य करती है वह बहुत दयनीय है।

इस प्रकार ज्ञात होता है कि महिला श्रमिकों को कम मजदूरी, कार्य के अधिक घण्टे, सामाजिक सुरक्षा का न मिलना, अवकाश का न मिलना मातृत्व अवकाश का न मिलना शिशुगृहों का न होना, कार्यस्थल पर यौन शोषण, भेदभाव आदि समस्याएँ अत्यन्त जटिल है जिनका निवारण अत्यन्त आवश्यक है। इन समस्याओं के निवारण से महिला श्रमिकों की कार्यपरिस्थिति में बदलाव आयेगा और वह राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान दे सकेंगी।

संदर्भ ग्रन्थ

Banu, S. R. (2017). Problems of women construction workers with special reference to Mannachanallur Taluk Trichirapplli district in Tamilnadu. *International journal of trend in research and development* , 1-3.

Banu, S. R. (2018). Working conditions and issues of women workers in an Unorganized sector of Thuraiyur Taluk Tiruchirapplli. *International journal of trend in scientific research and development International open access journal* , 1369-1374.

Dr. N Savitha, M. P. (2016). Work related Health issues faced by women in India . *International journal of social science and Economic research* , 1922-1929.

Manju. (2017). Women in unorganized sector - Problem & issues in India. *International journal of Applied research* , 829-832.

Rajendran, R. R. (2014). Problem and perspective of unorganised woman workers in India . *EPRA International journal of economics and businees review* , 53-66.

Reddy, S. A. (2016). Migrant women in construction work: Examining issues and challenges in delhi. *Amity journal of healthcare Management* , 1-20.

S. Monisha, P. R. (2016). Women working in unorganized sector - A Conceptual study. *Indian journal of applied research* , 97-99.

Sethy, S. K. (2014). Working and living conditions of workers in unorganized sector - A review of literature. *Online International Interdisciplinary research journal* , 197-204.

Tiwari, R. T. (2016). Women employment in unorganised sector in India: An Empirical Analysis. *Journal of Rural development* , 645-664.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल. ओ.)

2011–12 में हुए एन. एस. एस. ओ. सर्वे

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक

जनगणना 2011

कार्यबल सर्वे (पीएलएफएस), जनवरी मार्च 2020